"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 208] रायपुर, शनिवार, दिनांक 31 जुलाई 2010—श्रावण 9, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2010

अधिसूचना

फा. क्र. 9692/डी-1826/21-ब/छ. ग./2010.—राज्य सरकार, एतद्द्वारा, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (क्रमांक 66 सन् 1984) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छ. ग. उच्च न्यायालय के परामर्श से, विभाग की पूर्व अधिसूचना क्र. 5813/डी-2084/21-ब/छ. ग./2007 दि. 9-7-2007 में आंशिक संशोधन करते हुए आदेशित करता है कि कुटुम्ब न्यायालय, मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया (बैकुन्ठपुर) के न्यायाधीश, प्रतिमाह की 1 तारीख से 15 तारीख तक मनेन्द्रगढ़ में तथा प्रतिमाह 16 तारीख से माह के अन्त तक बैकुन्ठपुर में न्यायालय की बैठक करेंगे.

Raipur, the 31st July 2010

NOTIFICATION

F. No. 9692/D-1826/XXI-B/C.G./10.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984), the State Government, in consultation with the High Court of Chhattisgarh, hereby makes further amendment in department notification No. 5813/D-2084/XXI-B/C.G./2007 dated 9-7-2007 and order that Judge, Family Court, Manendragarh, District Koriya (Baikunthpur) shall hold sitting from 1st to 15th of every month at Manendragarh and from 16th till the end of the month at Baikunthpur.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.